GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. E(P&A)I-96/JCM/DC-5 **New Delhi, Dated :10.11.98**

The General Managers,
All Indian Railwaus including DLW, CLW & DCW,
Director General/RDSO, Lucknow.

Sub: DC/JCM Item No. 56/96 - Revision of Pay Scales of School Teachers - fixation of Pay on placement from basic grade to senior grade and from senior grade to selection grade.

****

Please refer to instructions contained in Board's letter No.E(P&A)I-87/PS-5-PE-5 dated 11.1.1988 followed by clarificatory letters of same number dated 11.4.1988 and 23.3.1989. Attention is also invited to Board's letter of same number dated 6.7.1989 clarifying that fixation of pay of teachers on appointment from one post to another not involving assumption of higher duties and responsibilities including appointment to non-functional selection grade posts, should be done under FR 22(a)(ii) and not under FR 22(c). Accordingly, CLW had refixed the pay of the teachers under FR 22(a)(ii) w.e.f. 1-1-1986. Aggrieved by the above action of CLW some of the affected filed a petition before CAT/Calcutta. The CAT/Calcutta vide their judgement dated 22.11.1996 directed that while fixation of pay under the correct rule was not challenged, recovery of overpayments already made should not be resorted to. Against the judgement of the CAT/Calcutta an SLP was filed in the Supreme Court and the Supreme Court vide their judgement dated 17.11.97 has directed that in the facts of the case they are not inclined to interfere and has added that the contentions raised in the petition are, however, kept open. The CAT/Hyderabad also vide their judgement dated 21.5.98 directed that no recoveries of over-payments made to the applicants shall be enforced.

2. This matter was also raised by the Staff Side in the DC/JCM forum wherein they had requested that in cases in which fixation was done till 8.1.97 in accordance with Board's instructions, no change should be effected.

3. Having regard to the judgements quoted above as also the request made by the Staff Side, the matter has been considered carefully by the Board. Taking all aspects into consideration, Board have decided that the recovery of erroneous payments made to the teachers as a result of a clarification issued by the Board vide letter dated 23.3.1989 quoted above, may be waived.

...2/-

4. The receipt of this letter may please be acknowledged.

(K.J. ABRAHAM)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A)
RAILWAY BOARD.

No. E(P&A)I-96 /JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 10. 11.98.

Copy (with 40 spares) forwarded to DAI(Railways) for information.

for Financial Commissioner/Railways

No.E(P&A)I-96/ JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 10.11.98.

Copy (with 35 spares each) to :-

1. The General Secretary, NFIR, 3, chelmsford Road, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, 4-State Entry Road, New Delhi.
3. All members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.(with 90 spares)

for Secretary, Railway Board.

Copy to:-

PSs to Adviser (Staff) & Adviser(Finance)
SPAs to EDPC-I, EDPC-II, EDE, EDE(IR), JDE(P&A), DE(N), DE(GC), JDE(GP), JDE(GR), JDE(W).

E(G), E(W), E(NG)I, E(NG)II. F(E)I, II, III, F(E)Spl., E(GR)I, II, E(GP), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)II Branches of Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(पीएंडए)1-96/जेसीएम/डीसी/5 नयी दिल्ली, दि0 10.12.98

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा डीरेका,चिरेका तथा डीकका.
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं.लखनऊ.

विषय:- विभागीय परिषद/संयुक्त परामर्श तंत्र की मद सं0 56/96-स्कूल अध्यापकों के वेतन का संशोधन-मूल ग्रेड से वरिष्ठ ग्रेड में तथा वरिष्ठ ग्रेड से प्रवरण ग्रेड में स्थापन किए जाने पर वेतन का निर्धारण.

कृपया बोर्ड का 11.1.88 का पत्र सं0 ई(पीएंडए)1-87/पीएस5-पी.ई5 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों तथा बाद में स्पष्टीकरण हेतु जारी किए गये 11.4.1988 तथा 23.3.1989 के समसंख्यक पत्रों को देखें. बोर्ड के 6.7.1989 के समसंख्यक पत्र की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गैर-क्रियात्मक प्रवरण ग्रेड पदों पर नियुक्ति सहित एक पद से किसी ऐसे पद पर जिसमें उच्च ड्यूटियां एवं उत्तरदायित्वों की मान्यता संबद्ध न हों, नियुक्ति किए जाने पर अध्यापकों के वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(सी) के अंतर्गत न करके एफ.आर.22(ए)(1)(i) के अंतर्गत किया जाए. तदनुसार, चिरेका ने 1.1.86 से अध्यापकों का वेतन एफ.आर.22(ए)(1)(i) के अंतर्गत पुनर्निर्धारित किया था. चिरेका के उपरोक्त कार्रवाई से असंतुष्ट कुछ प्रभावित अध्यापकों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/कलकत्ता में एक याचिका दायर की थी. अपने 22.11.1996 के फैसले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/कलकत्ता ने यह निर्देश दिया कि यद्यपि सही नियम के अंतर्गत वेतन के निर्धारण को चुनौती नहीं दी गयी फिर भी पहले ही किए जा चुके अधिभुगतान की वसूली का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/कलकत्ता के इस फैसले के विरुद्ध, उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी थी तथा उच्चतम न्यायालय ने अपने 17.11.97 के फैसले में यह निर्देश दिया कि इस मामले के तथ्यों में उनकी मंशा हस्तक्षेप करने की नहीं है तथा उन्होंने यह भी कहा कि बहरहाल,इस याचिका में उठाए गये विवादों को खुला रखा गया है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/हैदराबाद ने भी अपने 21.5.98 के फैसले में यह निर्देश दिया था कि आवेदनकर्ताओं से अधिभुगतान की कोई वसूली न की जाए.

2. इस मामले को कर्मचारी पक्ष द्वारा विभागीय परिषद/संयुक्त परामर्श तंत्र के मंच पर भी उठाया गया था जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि जिन मामलों में वेतन का निर्धारण बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार 8.1.97 तक किया गया था उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए.

3. उपरोक्त फैसले के साथ ही कर्मचारी पक्ष द्वारा किए गये अनुरोध के संदर्भ में, इस मामले पर बोर्ड द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है. सभी पहलूओं पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि बोर्ड के दिनांक 23.3.1989 के उपर्युक्त पत्र द्वारा जारी स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप, अध्यापकों को किए गये गलत अधिभुगतान की वसूली को माफ कर दिया जाए.

4. कृपया इस पत्र की पावती दें.

के.जे.अब्राहम

(के.जे.अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वेएवंभ)
रेलवे बोर्ड.

सं0 ई(पीएंडए)1-96/जेसीएम/डीसी-5 नयी दिल्ली, दि0 10.11.98

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें) को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं0 ई(पीएंडए)1-96/जेसीएम/डीसी-5 नयी दिल्ली, दि0 10.11.98

प्रतिलिपि (प्रत्येक को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित:-

1. जनरल सक्रेटरी, एन.एफ.आई.आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
2. जनरल सक्रेटरी, ए.आई.आर.एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली को (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते सचिव/रलवे बोर्ड.